न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 121/2017 दायर दिनाँक 12.05.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुरजाराम पुत्र स्वर्गीय घासीराम, 2. जीवणी पत्नी स्वर्गीय घासीराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूघाराम पुत्र भोलूराम, जाति–मेघवाल, निवासी–बेरीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. नानूराम पुत्र झूताराम, जाति–मेघवाल, निवासी–आसलसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. छोटूराम पुत्र घासीराम, जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार एवं उप पंजीयक, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–188 R.T.Act.
एवं निरस्त करने रजिस्ट्री बैचाणनामा

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीरसिंह शेखावत, वकील, वादीगण।
2. श्री शिवभगवान चौधरी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 121/2017 दायर दिनाँक 12.05.2017, निर्णय दिनाँक 17.03.2020 सूरजाराम बनाम रूघाराम, वगैरा।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **17.03.2020**

सरहद डावड़ा में सिंचित पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 13.11 बीघा व खसरा नम्बर 486/391 रकबा 02.08 बीघा कुल रकबा 15.19 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 14.08.2019 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 2061 दिनाँक 12.12.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांकः 2061 दिनाँक 12.12.2019 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डाबड़ा में सिंचित पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 13.11 बीघा व खसरा नम्बर 486/391 रकबा 02.08 बीघा कुल रकबा 15.19 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2061 दिनाँक 12.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2061 दिनाँक 12.12.2019 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर,
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

अंतिम निर्णय आज दिनाँक **17.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री अंशुल सिंह, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 121/2017 दायर दिनाँक 12.05.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सुरजाराम पुत्र स्वर्गीय घासीराम, 2. जीवणी पत्नी स्वर्गीय घासीराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूघाराम पुत्र भोलूराम, जाति–मेघवाल, निवासी–बेरीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. नानूराम पुत्र झूताराम, जाति–मेघवाल, निवासी–आसलसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. छोटूराम पुत्र घासीराम, जाति–मेघवाल, निवासी–डाबड़ा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार एवं उप पंजीयक, डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–188 R.T.Act.
एवं निरस्त करने रजिस्ट्री बैचाणनामा

दिनाँक 17.03.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रघुवीर सिंह शेखावत वकील, वादी व श्री भगवान चौधरी प्रतिवादी सं0 01 ता 03 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डाबड़ा में सिंचित पैतृक सम्पत्ति की भूमि खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 13.11 बीघा व खसरा नम्बर 486/391 रकबा 02.08 बीघा कुल रकबा 15.19 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2061 दिनाँक 12.12.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 2061 दिनाँक 12.12.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–................

...खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.03.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.05.07 14:49:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: